प्रेस नोट दिनाँक-23.06.2022

(1). **06 चोरियों का खुलाशा,**
अन्तर्जनपदीय चोर गिरफ्तार,
चोरी की नगदी, जेवरात, मोटरसाइकिल व मोबाइल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों के धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एसपी. सोनकर के पर्यवेक्षण में स्वाट/सर्विलांस प्रभारी श्री एम.पी त्रिपाठी एवं प्रभरी निरीक्षक रैपुरा श्री नागेन्द्र कुमार नागर की संयुक्त टीमों द्वारा जनपद की 05 तथा बाह्य जनपद की 01 कुल 06 चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये शातिर चोर शिवबली उर्फ रामबली निषाद पुत्र राजकुमार निषाद निवासी मनकुवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

दिनाँक 22.06.2022 को स्वाट/सर्विलांस प्रभारी एवं प्रभारी निरीक्षक रैपुरा की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना रैपुरा अन्तर्गत देऊधा मैकी मोड के पास से शातिर चोर अभियुक्त शिवबली उर्फ रामबली निषाद पुत्र राजकुमार निषाद निवासी मनकुंवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से दिनाँक 15.06.2022 को बोडी पोखरी के पास एक घर से चोरी की नकदी व माल सम्बन्धित मु0अ0स0 101/22 धारा 457/380 भादवि0, दिनाँक 17.06.2022 को रामनगर में 03 घरों से चोरी किये गये जेवरात, नकदी व 02 मोबाइल सम्बन्धित मु0अ0सं0 106/22 धारा 457/380 भादवि0, दिनाँक 20.06.2022 को थाना बरगढ़ अन्तर्गत कोनिया नदौली पुरवा में एक घर से चोरी किया गया जेवरात व होण्डा साइन बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल सम्बन्धित मु0अ0सं0 35/22 धारा 457/380 भादवि0 तथा पूर्व में थाना अतर्रा जनपद बांदा में पंजीकृत मु0अ0सं0 203/22 धारा 457/380 भादिव0 से सम्बन्धित माल व मोबाइल भी बरामद किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के माल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त सभी मुकदमों में धारा 457/380 भादवि के साथ धारा 411/413 भादवि0 की वृद्धि की गयी।

अभियुक्त का विवरण

शातिर चोर अभियुक्त शिवबली उर्फ रामबली निषाद पुत्र राजकुमार निषाद निवासी मनकुंवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट

अभियुक्ता का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 226/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ चित्रकूट
2. मु0अ0सं0 222/21 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मऊ चित्रकूट
3. मु0अ0सं0 65/22 धारा 380/411 भादिव थाना शंकरगढ़ प्रयागराज
4. मु0अ0सं0 69/22 धारा 4/5 विस्फोट पदार्थ अधिनियम थाना शंकरगढ़ प्रयागराज
5. मु0अ0स0 101/22 धारा 457/380/411/413 भादवि0 थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
6. मु0अ0स0 106/22 धारा 457/380/411/413 भादवि0 थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

7. मु0अ0स0 35/22 धारा 457/380/411/413 भादवि0 थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट
8. मु0अ0सं0 203/22 धारा 457/380/411/413 भादिव0 थाना अतर्रा जनपद बांदा

बरामदगीः-

1. 25000/- रुपये नगद
2. सोने चांदी के जेवरात (छागल, पायल,बिछिया, बिछुआ, नाक की कील, मंगलसूत्र,जीरा,माला, अंगूठी, झुमका आदि) कीमत लगभग 05 लाख रूपये
3. 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा साइन
4. 03 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

टीम प्रथम

1. स्वाट/सर्विलांस प्रभारी श्री एम.पी त्रिपाठी
2. मुख्य आरक्षी राजबहादुर सिंह
3. मुख्य आरक्षी रहीश खां
4. आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
5. आरक्षी रोहित सिंह
6. आरक्षी ज्ञानेन्द्र मिश्रा
7. आरक्षी राहुल यादव

द्वितीय टीम

1. प्रभरी निरीक्षक रैपुरा श्री नागेन्द्र कुमार नागर
2.व0उ0नि0 रामवीर सिह
3. उ0नि0 रमेश सिह यादव
4. मुख्य आरक्षी नीतराज
5. आरक्षी अमित पाल
6. आरक्षी दुर्गेश कुमार

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री योगेश कुमार तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र अरुण कुमार सिंह निवासी छिवलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 किलो 400 ग्राम गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.वरि0उ0नि0 श्री योगेश कुमार तिवारी थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री सूबेदार बिन्द
3.चौकी प्रभारी गनीवा चन्द्रमणि पाण्डेय
4. आरक्षी अशोक पाल
5. आरक्षी धर्मन्द्र
6. आरक्षी अंकित शुक्ला

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में

उ0नि श्री सूबेदार बिन्द तथा उनकी टीम द्वारा जिलाबदर अभियुक्त खेतिया निषाद पुत्र दयाल निषाद निवासी कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी महोदय के जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 107/22 धारा 03/10 यूपी0 गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि श्री सूबेदार बिन्द थाना राजापुर

2. आरक्षी अनस खां

(4). दिनाँक-22.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(5). दिनांक 23.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गया।